	22. ग्राम परिषद के किसी सीट अथवा फर्स्ट कैप्टन तथा सैंकेंड कैप्टन के पद की आकस्मिक रिक्ति ग्राम परिषद की अवधि के शेष भाग के लिए विनियम के उपबन्धों के अनुसार चुनाव के माध्यम से भरा जाएगा । बशर्ते कि जहाँ कोई सीट या फर्स्ट कैप्टन का पद किसी महिला के लिए आरक्षित है, तो महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति रिक्ति को भरे जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।	आकस्मिक रिक्ति
	23. (1) प्रत्येक ग्राम परिषद में एक सचिव होंगे जिनकी नियुक्ति उपायुक्त द्वारा की जाएगी और उनके वेतन और भत्ता का आहरण ग्राम परिषद की निधि से की जाएगी । (2) सचिव ग्राम परिषद के कार्यालय का प्रभारी होगा और इस विनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उप नियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों और कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा । (3) अनुशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों की शर्तों पर सचिव फर्स्ट कैप्टन के नियंत्रण के तहत सभी कार्यों को करेगा जिसके प्रति ग्राम परिषद के लिए वह उत्तरदायी है । (4) ग्राम परिषद ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिसे वह आवश्यक समझता है, नियुक्त कर सकता है; बशर्ते कि सिवाय प्रशासक की पूर्व मंजूरी के कोई भी पद सृजित न किया गया हो । (5) सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें इस प्रकार होगी, जैसे निर्धारित की गई है ।	ग्राम परिषद के अधिकारी और कर्मचारी
	24. (1) ग्राम परिषद के बैठकों का समय और स्थान और उसके पश्चात उस बैठक की कार्यवाही इस प्रकार होगा, जैसा निर्धारित है । (2) ग्राम परिषद का कोई सदस्य किसी भी बैठक में संकल्प पारित कर सकता है और ग्राम परिषद के प्रशासन से संबंधित मामले में फर्स्ट कैप्टन और सैंकेंड कैप्टन के समक्ष उस प्रकार से प्रश्न रख सकता है, जैसा निर्धारित है । (3) ग्राम परिषद के कुल सदस्यों का दो तिहाई के समर्थन द्वारा पारित किसी संकल्प को छोड़कर ग्राम परिषद के किसी संकल्प को ग्राम परिषद द्वारा इसके पारित किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर संशोधित, भिन्न अथवा रद्द नहीं किया जाएगा ।	ग्राम परिषद की बैठक
	25. (1) बशर्ते कि ऐसे नियंत्रण और प्रतिबन्धन जैसे भी निर्धारित किया जाए इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राम परिषद समितियों की नियुक्ति कर सकता है और उल्लेख किए गए अनुसार इसके ऐसे कर्त्तव्यों और इसके कार्यों का निर्वहन करेगा ।	समिति